न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या 01/2023

अपीलार्थी

श्री चन्द्रप्रकाश मकवाना पुत्र श्री गंगासिंह मकवाना जाति मकवाना निवासी डी–683 रिको कॉलोनी आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. डॉ. लाजवंती पत्नि श्री चन्द्रप्रकाश मकवाना निवासी हनुमंत सिंह चौहान के मकान में अम्बिका कॉलोनी, महावीर टॉकीज रोड, आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री आकांशा मकवाना पुत्री श्री चन्द्रप्रकाश मकवाना पत्नि श्री राहुल बिनोदिया निवासी पीएचसी नगराला तहसील दाहौद जिला दाहौद गुजरात।
3. श्री राहुल बिनोदिया पुत्र श्री भरत बिनोदिया निवासी 455 मानवता नगर, कॉरमेण्ट स्कूल के पास तहसील इन्दौर, मध्यप्रदेश।

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

उपस्थिति :

1. श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. रेस्पोडेन्ट संख्या एक डॉ. लाजवंती, स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 09.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16 के तहत उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा मुकदमा संख्या 02/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2023 के विरूद्ध दिनांक 13.03.2023 को प्रस्तुत की, जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2023 को पक्षकारानों की अनुपस्थिति में प्रकरण का अवलोकन कर अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक, जो अपीलांट की पत्नि है, उसके विरूद्ध भरण पोषण का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कि गलत लिखा है, क्योंकि अपीलांट द्वारा अपने दामाद व अपनी पुत्री जो रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन है, उनके विरू[illegible]ना पत्र प्रस्तुत किया था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अ[illegible] अपना भरण पोषण मानकर आदेश खारिज किया है, जो गलत है। यह कि अ[illegible]स्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य हेतु अवसर नहीं देकर मानव[illegible] पत्रावली बहस में होने [illegible] भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना बहस सुने आदेश [illegible]या है, जो गलत है। यह [illegible] अपीलांट करीब 62 वर्ष का सीनियर सीटीजन की श्रेणी में आता है, जिन्हें अपनी सरकारी सेवा के समय अपनी पुत्री आंकाशा बिनोदिया व अपनी पत्नि डॉ. लाजवंती की सेवा चाकरी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:13:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

भरणपोषण किया एवं आकांशा बिनोदिया को भी डॉक्टर की पढाई करवाई व अपनी पत्नि को भी स्वयं के खर्चे से डॉक्टर की पढाई करवाई एवं डॉ. लाजवंती ने एम.बी.बी.एस. विवाह के बाद पूर्ण की है, जिसका सम्पूर्ण खर्च अपीलांट ने किया है, परन्तु आज वृद्ध अवस्था में असहाय अपने घर पर अकेलेपन में अपना जीवन यापन कर रहे है, जिनका हमेशा स्वास्थ्य खराब रहता है, जिनको डायबिटिज, मोतियाबिन्द व बी.पी. की बीमारी से ग्रसित होने की वजह से स्वास्थ्य खराब रहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी बातों का अवलोकन करे बिना उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया विधि विरूद्ध कार्य किया है। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक मेडीकल सरकारी ऑफिसर है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो भी मेडीकल सरकारी ऑफिसर है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या तीन प्राईवेट नौकरी कर करीब लाखों रूपए का वेतन प्राप्त कर रहे है एवं अपीलांट का वृद्ध अवस्था में इनके अलावा अन्य कोई परिवार का सदस्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन से भरणपोषण की राशि प्रतिमाह 60,000/– रूपए व अन्य कोई दाद हितकर हो वह भी अपीलांट को दिलाया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक डॉ. लाजवंती द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि धारा 16(1) अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में मात्र व्यथित वरिष्ठ नागरिक अथवा अभिभावक ही अपील कर सकता है अन्य कोई भी व्यक्ति किसी भी दशा में अपील करने का अधिकारी नहीं है। यह है कि अपीलांट स्वयं एक एमबीबीएस डॉक्टर है और शारीरिक रूप से स्वस्थ है एवं स्वयं प्रैक्टिस करते है। अपीलांट शिवम हॉस्पीटल सरूपगंज और पुरोहित हॉस्पीटल पिण्डवाडा, आस्था चेरिटेबल ट्रस्ट लाम्बडिया, गांगा हॉस्पीटल कोटडा गढी, मॉ हॉस्पीटल और सोनोग्राफी सेन्टर लावडिया गुजरात में प्रैक्टिस करते है, जिनकी महिने की औसतन कमाई एक से डेढ लाख रूपए है, जिससे इनका भरणपोषण का कोई कानून ही लागू नहीं होता है। यह है कि अपीलांट द्वारा डायबिटिज, बी.पी. जैसी बिमारी से स्वास्थ्य खराब होने का दावा किया है, परन्तु डायबिटिज, बी.पी. जैसी बीमारी अपीलांट को वंशानुगत मिली है जो इनकी स्व. माताजी को भी थी एवं डायबिटिज और हाईपरटेन्शन का इलाज सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त में किया जा रहा है, जो एनसीडी कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी सरकारी हॉस्पीटल में उपलब्ध है। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन का अपीलांट से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि अपीलांट ने पिता होने की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है, बल्कि नोटिस भेजकर रेस्पोडेन्ट संख्या दो का घर तोडना चाहता है, जिससे अपीलांट अपना अहम सिद्ध कर सके, उसकी रेस्पोडेन्टगण की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिली के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थि[illegible] गई। पूर्व में भी कई मौके दिए जाने के उपरान्त उनका जवा[illegible] बन्द किया गया एवं न ही इनके द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर उपस्थिति [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:13:59 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अपीलांट श्री चन्द्रप्रकाश का भरण पोषण नहीं होने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भरण पोषण

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दिलवाए जाने का निवेदन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा संख्या 02/2022 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 10.01.2023 को आदेश पारित किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का आदेश दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के तहत प्रस्तुत की है, जिसमें यह उल्लेखित है कि अधिकरण के आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थिति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता–पिता ही आदेश की तारीख से साठ दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उनकी पत्नि रेस्पोडेन्ट संख्या एक डॉ. लाजवंती एवं अपनी पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या दो श्री आकांशा मकवाना एवं अपने दामाद रेस्पोडेन्ट संख्या तीन श्री राहुल बिनोदिया के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्ट्या माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के तहत परिपोषणीय प्रतीत नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1299/2011 जयराज बनाम जिला कलक्टर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2011 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने के. राजू बनाम भारत संघ व अन्य, 2021 AIR (Madras) 72 रिट पिटिशन संख्या 29988/2019 निर्णय दिनांक 19.02.2021 में भी यह माना है कि अधिकरण के आदेश के विरूद्ध केवल पीडित वरिष्ठ नागरिक या उसके संरक्षक द्वारा ही अपील की जा सकती है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक दोनों की उम्र लगभग समान है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक साथ–साथ नहीं रहते है और इस तथ्य दोनों पक्षकारों के द्वारा स्वीकार किया गया है, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्षकारों के मध्य विवाह के सम्बन्ध में विवाद है, जो सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी स्वयं एक एम.बी.बी.एस डॉक्टर है, जो वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहा है और पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा 18.10.2023 में पुरोहित हॉस्पीटल पिण्डवाडा में मरीजों को Prescription लिखी है। अतः अपीलार्थी अधिवक्ता का यह कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी स्वयं अपने भरण पोषण में सक्षम नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक के बच्चों की जिम्मेदारी भी रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा निभाई जा रही है, जिसे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट डायबिटिज, मोतियाबिन्द व बी.पी. की बीमारी से ग्रसित है, इस सम्बन्ध में यह पाया जाता है कि उपरोक्त बीमारी गम्भीर बीमारियों की श्रेणी में नहीं आती है एवं उक्त बीमारियों का इलाज भी सरकार द्वारा मुफ्त में किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह [illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना [illegible] नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:13:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

जिला कलक्टर न्यायालय सिरोही (राज.)

Scanned with CamScanner